न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी जयसिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 07 / 2020 दायर दिनांक 14.10.2020

नागरमल पुत्र श्री कालूराम जाति माली निवासी फूलेराव नगर तन बड़वासी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

—प्रार्थी

— बनाम —

1. ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल
2. कंचन पुत्री जगदीश प्रसाद
3. कैलाश चन्द्र पुत्र मदनलाल
4. किरण पुत्री रामचन्द
5. द्रोपदी पुत्री मदनलाल
6. निकिता पुत्री जगदीश प्रसाद
7. पूजा पुत्री रामचन्द्र
8. प्रहलादराय पुत्र मदनलाल
9. फूली देवी पत्नी स्व. मदनलाल
10. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मदनलाल
11. विनिता पुत्री जगदीश प्रसाद
12. विनोद कुमार पुत्र मदनलाल
13. विरेन्द्र पुत्र रामचन्द्र
14. शारदा देवी पत्नी स्व. रामचन्द्र
15. सुमन देवी पत्नी स्व0 श्री जगदीश
16. हितेश पुत्र जगदीश प्रसाद

जाति समस्तगण माली निवासीगण फुलेरावनगर तन बड़वासी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र बाबत करवाये जाने पत्थरगढी
अं.धारा 111, 128 रा0भू0राज0 अधि0

वकील प्रार्थी : श्री चन्द्रकांत शर्मा
वकील अप्रार्थी 1 व 3 : श्री सुरेश कुमार सीगड़

निर्णय

निर्णय दिनांक 24.10.2024

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :— राजस्व ग्राम फूलेरावगर तन बड़वासी की तन में भूमि खसरा नम्बर 229 / 79 रकबा 0.875 हैक्टर स्थित है, जिसकी खतोदारी आवेदक के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा आवेदक की भूमि से सटकर अनावेदकगण की भूमि है, जिसके खसरा नम्बर 79 रकबा 0.875 हैक्टर है, जिसकी खातेदारी अनावदेकगण के नाम से दर्ज रिकार्ड है।

प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 229 / 79 के पड़ौसी अप्रार्थीगण की सीमा लगती है। प्रार्थी की जमीन की सीमा को आये दिन अप्रार्थीगण क्षति नुकसान पहुंचाते है, सीमा को काटते है, सीमा बाबत आये दिन विवाद करते है, लड़ाई झगडा व मारपीट करते है, जिससे मौके पर शांति भंग होने का अन्देशा उत्पन्न हो गया है। प्रार्थी बाहर रहता है तथा कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है तथा अप्रार्थीगण झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है जो येनकेन प्रकारेण प्रार्थी की भूमि को हड़पना चाहता है। इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि के सुरक्षा हेतु भूमि खसरा नम्बर 229 / 79 की पत्थरगढी करवाना चाहता है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुंझुनू)

Scanned with CamScanner

प्रार्थी ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 229/79 में कब्जे के अनुसार दिनांक 29.11.2019 को सीमा ज्ञान करवा चुका है। भविष्य में कोई विवाद नही हो और मौके पर शांति व्यवस्था बनी रहे इसलिए सीमाज्ञान के अनुसार प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 229/79 की सारी सीमाओं की पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 229/79 रकवा 0.875 हैक्टर की सीमाओ पर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 अन्तर्गत धारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी अप्रार्थीगण जारी अप्रार्थीगणों को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की ओर से वकील श्री सुरेश कुमार सीगड़ ने अपना वकालतनामा पेश किया। शेष अप्रार्थीगण संख्या 2 व 4 लगायत 16 बावजूद तामिल के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

अप्रार्थीगण संख्या 01 व 03 की ओर से प्रार्थना पत्र वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुये जवाव प्रार्थना पत्र पेश किया कि जवावदेहन्दागण का पिता और प्रार्थी नागरमल दोनो सगे भाई है प्रार्थी के पिता की मृत्यु हो गई है प्रार्थी के पिता और उसके अप्रार्थीगण 16 वारिस है जो सदा से कृषि व मजदूरी का कार्य करते रहे है तथा प्रार्थी मुम्बई व अहमदाबाद में मील में मैनेजर के पद पर रहे है, प्रार्थी की नियत खराब हो गई है जिसके कारण जवावदेहन्दागण के हक व कब्जे काश्त की जमीन नाजायज रूप से अपनी बड़ी हैसियत का दुरूपयोग करके हड़पना चाहता है जिसके कारण यह गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारीज होने योग्य है।

सीमाज्ञान पटवारी से मिलीभगत करके गलत करवाया है जिसकी कोई सूचना जवाबदेहन्दागण को नही दी गई। बाला–बाला सीमाज्ञान की रिपोर्ट तथ्यों के विपरीत बनवाई गई है जिसके बावत जवाबदेहन्दा को एतराज है तथा सीमाज्ञान अन्य किसी निष्पक्ष अधिकारी से करवाये जाने का निवेदन है।

जवाव के अतिरिक्त कथन किया कि कुआं दोनो भाईयों की सीमा के बीच में स्थित है दोनो की सीमा के बीच पत्थरगढी की हुई है। प्रार्थी की जमीन की नपती पुनः करवाई जावे क्योकि प्रार्थी ने जवाबदेहन्दा के हक की जमीन दवा रखी है वह रकवे में ज्यादा है प्रार्थी ने सार्वजनिक गोचर भूमि की जमीन भी दबा रखी है वह भी खाली करवाई जावे। जवाबदेहन्दा की गरीब स्थिति का प्रार्थी नाजायज फायदा उठाने के लिए यह गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है, जमीन के बंटवारा 70 वर्ष पूर्व दोनो भाईयों के बीच पिता कालूराम द्वारा किया हुआ है जो आज भी उसी स्थिति में मौजुद है इसलिए कब्जे में हेरफेर धारा 111, 128 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत करवाने का कानून में प्रावधान नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारीज फरमाया जावे।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता आवेदक ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तहसीलदार नवलगढ़ के द्वारा दिनांक 29.11.2019 को करवाये गये सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगड्डी करने का निवेदन किया। वकील अनावेदक संख्या 01 व 03 ने बहस आवेदक का विरोध प्रकट करते हुये जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया कि दिनांक 29.11.2019 को हुये सीमाज्ञान उचित नही होने से पत्थरगढी किया जाना उचित नही है।

बहस का मनन किया तथा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि वाके ग्राम फलेरावनगर तन बडवासी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 229/79 रकवा 0.875 हैक्टर स्थित है, जिसकी खातेदारी आवेदक के नाम दर्ज रिकार्ड होकर आवेदक की ही खातेदारी काश्त की भूमि है। प्रार्थी भूमि के सटकर भूमि खसरा नम्बर 79 रकबा 0.875 हैक्टर स्थित है जिसकी खातेदारी अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 16 के नाम दर्ज रिकार्ड है। विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर पक्षकारान में आपस में विवाद है। चूंकि तहसीलदार नवलगढ के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 29.11.2019 को विवादित भूमि का रिकार्ड अनुसार सीमाज्ञान करवाया जा चुका है उक्त सीमाज्ञान मौका फर्द में पटवारी हल्का ने स्पष्ट अंकित किया है कि "मोके पर उपस्थित जनो के सामने खसरा नम्बर 229/79 का नक्शा लट्ठा से फीता चलाकर सीमाज्ञान व सीमा चिन्ह करवाये गये" पक्षकारानो के मध्य सीमाओ को लेकर लड़ाई झगड़ा होने की सम्भावना बनी रहती है। यदि आवेदक की भूमि की पत्थरी गड्डी नही की जाती है तो आवेदक के साथ अन्याय एवं कुठाराधात होगा तथा आवेदक को अपनी भूमि से वंचित होना पड सकता है। इसलिए आवेदक की भूमि की पत्थर गड्डी करवाया जाना आवश्यक है। तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुंझुनूं)

Scanned with CamScanner

नवलगढ़ द्वारा दिनांक 29.11.2019 को कराये गये सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाया जाना न्यायोचित है। आवेदकगण को अपनी खातेदारी की भूमि में पत्थरगड्डी करवाने का अधिकारी है। अतः आवेदकगण का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से आवेदकगण का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी का स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम फलेरावनगर तन बडवासी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 229/79 रकबा 0.875 हैक्टर की फर्द मौका (सीमाज्ञान) दिनांक 29.11.2019 के अनुसार पत्थरगड्डी शुल्क राजकोष में आवेदक द्वारा जमा कराने पर वर्णित भूमि के पत्थगड्डी करने का तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है। फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 29.11.2019 निर्णय का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जयसिंह (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Scanned with CamScanner